

पुराने अपार्टमेंट के फ्लैटों की रजिस्ट्री शीघ्र शुरू की जाएगी

परियोजनावार रेरा ने शुरू की मॉनिटरिंग, हेराफेरी करने पर नकेल कसने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना : सरकार अगर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) सुझाव पर अमल करती है, तो पुराने फ्लैट खरीदारों के साथ बिल्डरों को बड़ी राहत मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग और निबंधन विभाग नई नियमावली को अमलीजामा पहनाने जुटा है। रेरा के चैयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने मंगलवार को यह संकेत दिए। पत्रकारों से मुखातिब रेरा चैयरमैन ने कहा कि 2017 से पहले बने अपार्टमेंट के फ्लैटों की बिक्री और रजिस्ट्री का रास्ता निकाल लिया गया है। इस दौरान रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और डॉ. एसके सिन्हा भी मौजूद थे।

बता दें कि कुछ समय पहले रेरा ने पत्र लिखकर बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली-2018 लागू होने के बाद रजिस्ट्री में लोगों को हो रही कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। अब रेरा ने निर्णय किया है कि सभी बिल्डरों की कुंडली खंगालेगा। परियोजनावार रेरा ने मॉनिटरिंग शुरू भी कर दी है। कोशिश है कि हेराफेरी पर नकेल कसी जाए। रेरा अपार्टमेंट बनाने के नाम पर बगैर एक ईट डाले अरबों रुपये

- बिहार बिल्डर्स एसोसिएशन, सीआइआइ और क्रेडाई अरसे से कर रहा राहत देने की मांग
- पहली मई 2017 से पूर्व बने अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए बिल्डर शपथ पत्र देकर बगैर रेरा नंबर करा सकते हैं रजिस्ट्री



दबाकर बैठे बिल्डरों की मामले में जांच भी कर रहा है। दर्जनों बिल्डरों को दंडित भी किया है। इसी तरह रेरा में रजिस्ट्रेशन करने वाले बिल्डरों की परियोजनाओं को समय पूरा कराने में मदद का भी भरोसा दिया है। अहम यह है कि 370 बिल्डरों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर बिल्डरों

को नोटिस भी जारी किया। इस पहल से सैकड़ों लोगों राहत मिली है। सौ से ज्यादा मामले में सुनवाई पूरी की गई है।

उधर, पुराने फ्लैटों की रजिस्ट्री में रेरा ने बिहार बिल्डर एसोसिएशन, कॉफिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआइआइ), कॉफिडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स

एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अलावा जनता के आग्रह पर रेरा ने यह पहल की है। रेरा से लोगों को शिकायत है कि कैसे फ्लैटों की रजिस्ट्री जिसमें रेरा निबंधन संख्या अनिवार्य नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री से पूर्व रेरा निबंधन संख्या की मांग की जा रही है। यही नहीं, पहली मई 2017 से पूर्व निर्मित भवनों व फ्लैट के बिक्रीनामा/किरायानामा/बंधकनामा और हस्तांतरण से भी रोका जा रहा है। इसी तरह किसी कंपनी/फर्म/ बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा अपनी जमीन बिक्री की जाती है तो निबंधन कार्यालय द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के आड़ में अटकाया जा रहा है। ऐसे मामले में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य नहीं है। बिल्डर या डेवलपर ऐसे मामले में शपथ पत्र देकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसी तरह किसी भी जमीन के मालिक को उसकी अपनी जमीन की बिक्री, जिसकी प्लॉटिंग नहीं की गई हो, के हस्तांतरण/लीज और बंधक रखने में रेरा नंबर अनिवार्य नहीं है। फिर भी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री से पहले रेरा नंबर की मांग की जा रही है। ऐसे मामले में राहत देने की तैयारी है।